न्यायालय उपखण्ड अधिकारी शाहाबाद, जिला बारां राजस्थान

वाद संख्या 10/20 दायरा दिनांक 03.03.2020

पीठासीन अधिकारी – श्री मुकेश चन्द्र मीना (आर.ए.एस.)

अनिता पुत्री घासी उम्र 40 वर्ष जाति लुहार निवासी ग्राम राजपुर तहसील शाहावाद जिला बारां राजस्थान वादी

–: बनाम :–

1–द्वारका पुत्र घासी उम्र 55 वर्ष जाति लुहार निवासी ग्राम राजपुर तहसील शाहावाद जिला बारां राजस्थान

2–मोहन पुत्र घासी उम्र 46 वर्ष जाति लुहार निवासी ग्राम राजपुर तहसील शाहावाद जिला बारां राजस्थान

3–जगदीशप्रसाद पुत्र घासी उम्र 43 वर्ष जाति लुहार निवासी ग्राम राजपुर तहसील शाहावाद जिला बारां राजस्थान

4–पार्वति पुत्री घासी उम्र 52 वर्ष जाति लुहार निवासी ग्राम राजपुर तहसील शाहावाद जिला बारां राजस्थान

5–भंवरी पत्नि घासी उम्र 80 वर्ष जाति लुहार निवासी ग्राम राजपुर तहसील शाहावाद जिला बारां राजस्थान

6–राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार शाहावाद जिला बारां राजस्थान

प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 53,188 आर.टी.एक्ट 1955

अंतिम निर्णय दिनांक– 05.05.2025

उपस्थित – वादीगण की ओर से – श्री प्रकाशचन्द नामदेव एडवोकेट
प्रतिवादीगण की ओर से – एकपक्षीय

उक्त उनवानी वाद को इस न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 23.03.2022 से स्वीकार किया जाकर विवादित आराजी ख0नं0 57 रकवा 5 विस्वा, ख0नं0 323 रकवा 4.04 बीघा, ख0नं0 372 रकवा 4.13 बीघा किता 3 रकवा कुल 9.02 बीघा ग्राम राजपुर पटवार हल्का राजपुर तहसील शाहाबाद में से वादी हिस्सा 1/6 का विभाजन स्वीकार किया जाकर तहसीलदार शाहावाद को विभाजन प्रस्ताव तैयार कर पेश करने हेतु प्राथमिक डिक्री जारी की गई थी। जिसकी पालना में दिनांक 16.04.2025 को तहसीलदार शाहावाद द्वारा विभाजन प्रस्ताव पेश किया, विभाजन प्रस्ताव में बताया गया कि राजस्व रिकार्ड जमाबंदी 2071–74 में आराजी ख0नं0 57 रकवा 5 विस्वा, ख0नं0 323 रकवा 4.04 बीघा, ख0नं0 372 रकवा 4.13 बीघा [illegible] द्वारका मोहन जगदीशप्रसाद पुत्र पार्वती अनीता पुत्रियां भंवरी बेवा घासी [illegible] र सा. देह के नाम दर्ज थी, नामा0 नं0 855 दिनांक 20.04.202[illegible] के स्थान पर रोहित अनिकेत पुत्र सोमवती [illegible] 1/6 के नाम स्वीकार हुआ। नामा0 नं0 897 दिनांक 05.04.[illegible] नाम खाते से खा[illegible]। नामा0 नं0 904 दिनांक 07.08.2023 से जर्ये विक्रयपत्र खातेदार द्वारका मोहन [illegible] अनीता रोहित अनिकेत सोमवती ने ख0नं0 323 रकबा 4.04 बीघा का बेचान मुन्नीबाई पत्नि बृजमोहन किराड सा. देह के पक्ष में कर दिया है तथा नामा0नं0 905 दिनांक 07.08.2023 से जर्ये विक्रयपत्र खातेदार रोहित अनिकेत सोमवती ने अपना हिस्सा 1/5 का बेचान द्वारका मोहन पुत्र घासी जाति लुहार सा. देह के पक्ष मे कर दिया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Mukesh Chandra Meena
Date: 2025.06.18 13:44:26 IST
Reason: SelfAttested

05/05/2025

इस प्रकार विवादित आराजी ख0नं0 323 रकबा 4.04 बीघा का बेचान वादी तथा प्रतिवादीगण द्वारा मुन्नीबाई के हक में दौराने वाद कर दिये जाने से विवादित आराजी मात्र ख0नं0 57 रकवा 5 विस्वा तथा ख0नं0 372 रकवा 4.13 बीघा शेष रहती है। जिसका वर्तमान दर्ज खाता जमाबंदी अनुसार यह विभाजन प्रस्ताव तहसीलदार शाहाबाद द्वारा प्रस्तुत किया गया है, जिसे वादी ने स्वीकार कर कोई आपत्ति नहीं होना जाहिर किया। तहसीलदार शाहावाद द्वारा प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव निम्न प्रकार है–

क.सं.	**काश्तकार का नाम**	**ख.सं.**	**रकबा**	**किस्म**	**लगान**
1–	द्वारका हि. 3/8 मोहन हि. 3/8 पार्वती पुत्री घासी हि. 1/4 जाति लुहार निवासी राजपुर	57	0.05	खेडा	0.38
		372 दक्षिणी	3.13	बा. 2	2.19
		किता 2	**3.18 बीघा**		**2.57**

क.सं.	**काश्तकार का नाम**	**ख.सं.**	**रकबा**	**किस्म**	**लगान**
2–	अनीता पुत्री घासी जाति लुहार निवासी राजपुर	372/1 उत्तरी	1.00	बा. 2	0.60

अतः तहसीलदार शाहावाद द्वारा प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव स्वीकार किया जाकर ग्राम राजपुर तहसील शाहावाद स्थित विवादित आराजी ख0नं0 57 रकवा 5 विस्वा तथा ख0नं0 372 रकवा 4.13 बीघा किता 2 कुल रकबा 4.18 बीघा में से वादी हिस्सा 1/6 का विभाजन किया जाता है। उपरोक्तानुसार वादी का प्रथक खाता कायम कर तरमीम की जावे। प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे वादी के विभाजित हिस्सा 1/6 कब्जे काश्त में कोई दखलन्दाजी नहीं करें। पालनार्थ तहसीलदार शाहावाद को लिखा जावे। अंतिम डिकी पर्चा जारी हो। निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 05.05.2025 को सरे इजलास सुनाया गया। प्रकरण पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

05/05/2025

उपखण्ड अधिकारी
शाहाबाद

Signature Not Verified

Digitally signed by Mukesh Chandra Meena
Date: 2025.06.18 13:44:26 IST
Reason: SelfAttested